कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

श्रीमती रूकसाना परवीन व0अ0 राबामावि कडेल, अजमेर, वरिष्ठता क्रमांक 558 अवधि 1997–98 जन्मतिथि 15.12.1965 को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी शिड्यूल II की वर्ष 2020–21 की डीपीसी में चयनोपरांत इस कार्यालय के आदेश दिनांक 02.02.2021 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए राउमावि दांतड़ा, अजमेर में पदस्थापित किया गया था, जहां दिनांक 05.02.2021 को इनके द्वारा कार्यग्रहण किया गया।

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर के पत्र क्रमांक 1533 दिनांक 28.06.2021 के द्वारा विभाग के ध्यान में यह लाया गया कि श्रीमती रूकसाना परवीन की तत्समय उप निदेशक (पुरूष) शिक्षा, अजमेर के आदेश क्रमांक उनिशि/पु/अप/संस्था–4/फा–252, 254/97–98/383 दिनांक 30.06.1997 के द्वारा व0अ0 अंग्रेजी के पद पर अप्रशिक्षित के रूप में नियुक्ति दी गई थी, जिसमें यह शर्त अंकित थी कि इन्हें तीन वर्ष में बी.एड प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, इनको प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात ही वरिष्ठता का लाभ देय होगा, तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के एक वर्ष बाद वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रीमती रूकसाना परवीन व0अ0 अंग्रेजी के पद पर नियमित नियुक्त नहीं है तथा बी.एड प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण वे व0अ0 पद की वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं बनती है। अतः इनको प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद पर समसंख्यक आदेश दिनांक 02.02.2021 के द्वारा प्रदान की गई पदोन्नति पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य बनती है।

विभाग द्वारा समसंख्यक नोटिस दिनांक 22.07.2021 के द्वारा श्रीमती रूकसाना परवीन को नियम विरूद्ध पदोन्नति को निरस्त करने के संबंध में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। श्रीमती रूकसाना परवीन द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 04.08.2021 को प्राप्त हुआ, जिसमें इनके द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उन्हें प्रशिक्षित मानते हुए वेतन वृद्धि, चयनित वेतनमान एवं वरिष्ठता संबंधी लाभ प्रदान किये जाने संबंधी राज्य सरकार के परिपत्र/अधिसूचना जारी कर रखी है। विभाग द्वारा उसे व0अ0 पद की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता प्रदान कर रखी है, प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के 50 प्रतिशत पद 05 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का नियमानुसार प्रावधान है। अतः उन्हें प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद पर दी गई पदोन्नति नियमानुसार है।

श्रीमती रूकसाना परवीन द्वारा प्रस्तुत पक्ष स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि वर्ष 1997 में नियुक्त अध्यापकों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रशिक्षित माने जाने संबंधी राज्य सरकार ने कोई परिपत्र/अधिसूचना जारी नहीं की है। चूंकि श्रीमती रूकसाना परवीन की व0अ0 अंग्रेजी के पद पर इनके द्वारा अभी तक बी.एड योग्यता अर्जित नहीं किये जाने के कारण नियमित नियुक्त कार्मिक नहीं है, इनकी व0अ0 पद के वेतनमान में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई है एवं नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तें एवं नियमानुसार ये व0अ0 पद की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित होने की पात्रता ही नहीं रखती हैं। अतः इनको प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद पर प्रदान की गई पदोन्नति पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य बनती है।

अतः श्रीमती रूकसाना परवीन की समसंख्यक आदेश दिनांक 02.02.2021 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद पर दी गई पदोन्नति त्रुटिपूर्ण एवं नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त की जाकर इन्हें पूर्व पद व0अ0 अंग्रेजी के पद पर पदस्थापन हेतु संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर को सुपुर्द किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/संस्था/सी–1/अंग्रेजी/डीपीसी/2020–21/ दिनांक : 15-09-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रु–2) विभाग, राजस्थान, अजमेर
3. संयुक्तनिदेशक, स्कूल शिक्षा अजमेर को भेजकर लेख है कि रूकसाना परवीन को मण्डल में व0अ0 अंग्रेजी के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित करें तथा व0अ0 पद पर यिमित नियुक्त नहीं होते हुए भी इनका व0अ0 पद की वरिष्ठता में नाम सम्मिलित करने हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें तथा व0अ0 पद की वरिष्ठता से इनका नाम विलोपित करने सम्बंधी कार्यवाही तत्काल की जावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
5. प्रधानाचार्य राउमावि दोतड़ा, अजमेर को देकर लेख है कि इन्हें आदेश प्राप्ति के दि नही संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अजमेर हेतु कार्यमुक्त करें।
6. श्रीमती रूकसाना परवीन द्वारा प्रधानाचार्य राउमावि दांतड़ा, अजमेर।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/शाला दर्पण/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते